न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

क्रमांक / वि.अ. / 05 / 15 / भीलवाड़ा

विभागीय अपील द्वारा श्री मोहन लाल राव पटवारी हलका रीठ तहसील कोटड़ी तत्कालीन पटवारी बिगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 06–01–2015

उपस्थितः– श्री मोहन लाल राव पटवारी

श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांकः– 22–6–2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 06–01–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 29–11–2002 को एक ज्ञापन जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या एक :–

यह कि आपने पटवार मण्डल बीगोद तहसील माण्डलगढ पर पदस्थापित रहते हुए माह जून 2002 में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये भूमि नियमन शिविर के दौरान पटवार मण्डल बीगोद के शिविर में आरोप विवरण पत्र में अंकित कुल 45 प्रकरण नियमन योग्य न होने पर भी उन्हें नियमन योग्य करने के उद्देश्य से आपने पटवार मण्डल बीगोद के सम्वत 2051 से 2057 के खसरा परिवर्तनशील पी–14 की पटवार प्रति मं हेर फेर (TAMPER) कर गम्भीर अनियमितता की है तथा पूर्व में संधारित रेकार्ड में हेर फेर कर गम्भीर दुराचरण किया है।

आरोप संख्या दो :–

यह कि आरोप नम्बर एक में अंकित प्रकरणों में काश्तकारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खसरा परिवर्तनशील की पटवार प्रति में हेर फेर (TAMPER) कर गम्भीर दुराचरण किया है तथा रेकार्ड की सुरक्षा के प्रति गम्भीर लापरवाही की है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया इसलिए इस मामले की विस्तृत जांच कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में अपीलांट पर लगाये गये आरोप को उनके विरूद्ध प्रमाणित माने। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने जांच प्रतिवेदन की प्रति अपीलांट को भेजकर उसे अन्तिम अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अपीलांट ने अन्तिम अभ्यावेदन में भी आरोपों को अस्वीकार किया। जिला कलक्टर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन से असहमति व्यक्त करते हुए दिनांक 16–01–2015 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट को इस मामले में दोषी मानकर उनकी दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया। इस दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि जांच अधिकारी ने सी.सी.ए. रूल्स के नियम 16 (4)(क) तथा 16(6)(क) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। अपीलांट ने उनके समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये उनका अवलोकन नहीं किया तथा सरकारी पक्ष के गवाहों को भी दरकिनार करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित कर दी। जिला कलक्टर ने भी केवल जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए अपना आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध है। दोनों ही अधिकारियों ने अपीलांट के विरूद्ध जो आरोप लगाये थे उसके विपरीत अपना निष्कर्ष दिया है। जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में आरोपों को प्रमाणित मानने के कोई कारण अंकित नहीं किये है। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में यह माना है कि उनके सामने जो गवाह पेश हुए थे उन्होंने यह स्वीकार किया है कि कांट–छांट की राईटिंग अपीलांट की नहीं है फिर भी जिला कलक्टर ने आरोपों को प्रमाणित मानते हुए अपीलांट को दण्डित किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलांट के विरूद्ध नियम 16 के तहत जो आरोप आरोपित किये गये थे उसी विषय पर तत्कालीन तहसीलदार, माण्डलगढ ने दिनांक 7–12–2002 को थानाधिकारी बीगोद के समक्ष एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी। फौजदारी प्रकरण दर्ज होकर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम माण्डलगढ के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 22–1–2014 को निर्णय पारित कर अपीलांट को दोषमुक्त किया अब उन्हीं आरोपों से जो न्यायिक कार्यवाही में प्रमाणित नहीं हुए है तो उन आरोपों को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने प्रमाणित मानकर उसी को दोषी माना है। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एस. एल.आर. 1981 (2) पृष्ठ 274 नागपुर शहर विजय बनाम रामचन्द्र की रूलिंग्स

प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त पारित किया है कि यदि आपराधिक प्रकरण में कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया है तो उन्हीं आरोपों पर विभागीय जांच नहीं चल सकती। इस आधार पर भी जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने आरोपों के बारे में बहस जारी रखते हुए अनुरोध किया कि अपीलांट के विरूद्ध कुल मिलाकर एक ही आरोप लगाया गया है और दूसरा आरोप प्रथम आरोप का रिपीटेशन मात्र है। आरोप केवल यह है कि जून, 2002 में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये भूमि नियमन शिविर के दौरान पटवार मण्डल बीगोद के शिविर में 45 प्रकरण नियम योग्य नहीं होने पर भी सम्वत् 2051 से 2057 तक के खसरा परिवर्तनशील पी–14 की पटवार प्रति में हेरफेर करने से संबंधित है। यही आरोप न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश में लगाया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में पी–14 सम्वत 2051 से 2057 मूल ही मंगवाकर रेकार्ड पर लिया तथा संबंधित पक्षकारों की गवाही ली। इसके पश्चात अपने निर्णय में उन्होंने यह माना कि खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2051 से 2058 तक के पी–14 जब बनाये गये थे तब मोहन लाल अपीलांट पटवारी के पद पर कार्यरत नहीं थे। न्यायालय ने यह भी माना कि जो कांट–छांट हुई है वह मोहनलाल के हस्तलिपि की नहीं है। न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार श्री राजपुरोहित के बयानों को महत्वपूर्ण माना और अपीलांट को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। इन्हीं आरोपों की जब जांच उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ ने की तो उन्होंने कोई भी रिकार्ड प्रदर्श नहीं किये परन्तु उनके समक्ष 7 सरकारी गवाह पेश हुए। सभी गवाहों ने अपने बयानों में कहा कि कांट–छांट मोहनलाल पटवारी के हस्तलिपि की नहीं है। वास्तव में सम्वत 2051 से 2052 व 2053 के दस्तावेज रामनारायण बांगड पटवारी ने तैयार किये थे और उन्हीं के कब्जे में थे। सम्वत 2057 से 2058 के दस्तावेज गोरधन लाल पटवारी ने तैयार किये थे। इस प्रकार जिन पटवारियों ने वास्तव में अपराध किया उनको बचा लिया गया और अपीलांट को अनावश्यक रूप से दण्डित किया है। अतः उन्होंने जिला कलक्टर द्वारा पारित दण्डादेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि श्री मोहनलाल राव पटवारी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ द्वारा वर्ष 2002 में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये भूमि नियमन शिविर के दौरान पटवार मण्डल बीगोद के शिविर में श्री राव को दिये गये आरोप विवरण पत्र में अंकित 45 प्रकरण नियमन योग्य नहीं होने पर भी उन्हें नियमन करने के उद्देश्य से एवं काश्तकारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पटवार मण्डल बीगोद के सम्वत 2051 से

2057 के खसरा परिवर्तनशील की पटवार परत में हेरफेर एवं कांट छांट की गई है तथा रेकार्ड की सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही प्रदर्शित करने के आरोप पूर्णतः साबित होने से अपीलार्थी को दिया गया दण्ड सर्वथा उचित है। अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट के विरूद्ध मुख्य आरोप सम्वत 2051 से 2057 के खसरा परिवर्तनशील पी–14 की पटवार प्रति में हेर फेर/कांट–छांट करने से संबंधित है। इन्हीं आरोपों के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही भी की गई। अपीलांट के वकील ने उक्त न्यायिक निर्णय दिनांक 22–1–2014 की प्रति बरवक्त बहस प्रस्तुत की। जांच पत्रावली में भी उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन तहसीलदार, माण्डलगढ़ के बयान लिये गये थे। इसके अलावा आम बयान भी लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तथाकथित कांट–छांट जो खसरा परिवर्तनशील पी–14 सम्वत 2051 से 2057 में की गई है यह कब और किसके द्वारा की गई है इस बात को किसी भी गवाह ने प्रमाणित नहीं किया है। न्यायालय ने यह भी माना कि जिस समय का यह मामला है उस समय अपीलांट मोहनलाल कार्यरत नहीं था। न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ने अपीलांट को अपने आदेश दिनांक 22–1–2014 द्वारा दोषमुक्त कर दिया। प्रशासनिक स्तर पर अपीलांट के ऊपर लगाये गये आरोपों की जांच उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा की गई है। उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ ने अपने 32 पृष्ठ की जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि ''परत सरकार में इन खसरा परिवर्तनशील में आज भी किसी प्रकार की कांट–छांट नहीं हुई। इस प्रकार खसरा परिवर्तनशील में जो भी कांट–छांट हुई है वह भूमि नियमन शिविर में मोहन लाल के रिकार्ड सुपुर्द करने के बाद हुई है। जांच अधिकारी ने इस आधार पर यह भी माना है कि सभी गवाहों ने इस बात की ताहिद की है कि कांट–छांट की राईटिंग अपचारी कर्मचारी की नहीं है और कांट–छांट मो0 यूनिस नाम अंशकालिक कर्मचारी द्वारा की गई है। उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ ने अंशकालिक द्वारा की गई कांट–छांट के लिए अपीलांट को इसलिए दोषी माना है कि वह अंशकालिक था जो मोहनलाल के अधीन था और इसी आधार पर ही जांच अधिकारी ने आरोप प्रमाणित माना है। जब जांच में **यह प्रमाणित हो गया कि कांट–छांट अपीलांट मोहनलाल द्वारा नहीं की गई है तो** आरोपों के लिए अपीलांट को दोषी मानना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। जबकि इन्हीं आरोपों के बारे में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलांट को दोषमुक्त कर दिया। चूंकि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय में केवल जांच अधिकारी की रिपोर्ट से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अपीलांट के विरूद्ध आरोप प्रमाणित मानकर दण्डित किया है जो न्यायसंगत नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ ने जो जांच रिपोर्ट प्रेषित की है उसमें उनका यह स्पष्ट निष्कर्ष है कि कांट–छांट अपीलांट के द्वारा नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश भी रेकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत हो जाता है। इन परिस्थितियों में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 6–1–2015 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक एफ–1 ख18(1)(13)भू.अ./वि.जां/2014/64072 दिनांक 06–01–2015 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावें।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर